न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

रामलाल बनाम राजू मुकदमां नम्बर 2019/00185

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस. उपस्थिति – श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता वादी श्री अजीज खां अधिवक्ता प्रतिवादी **संशोधित आदेश** दिनांक :– 23.09.2024 यह वाद रामलाल पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी पीह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.10.2019 को निर्णित कर डिक्री किया गया था। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में हुई जिसका अनुवान मुमताज बनाम रामलाल मुकदमां नम्बर 70/2018 दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2019 को निर्णय पारित करते हुऐ प्रकरण रिमाण्ड कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2009 की पालना में राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन किया गया है तो पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु निर्देशित किया गया था। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 16.07.2019 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वादी रामलाल द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसमें धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया पर सुनवाई कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 06.09.2020 को निर्णय पारित करते हुऐ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय नागौर का निर्णय दिनांक 16.07.2019 को अपास्त करते हुऐ इस न्यायालय को निर्देशित किया है कि धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2022 के आधार पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2009 में संशोधन करे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय नागौर के रिमाण्ड आदेश पर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली इस न्यायालय में	

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी 16 की एल.आर. मुमताज पुत्री लादूराम के अधिवक्ता श्री अजीज खां द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06.09.2022 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमान के न्यायालय से पारित आदेश दिनांक 13.10.2009 में राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 06.09.2022 की पालना अनुसार निर्णय व डिक्री में संशोधन फरमाने का श्रम करावे। इसी प्रकार वादी रामलाल ने जरिये अधिवक्ता श्री ऋषि बोहरा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी 16 लादू पुत्र भोलू की वारिस मुमताज पुत्री लादू का हिस्से तक डिक्री दिनांक 13.09.2009 में संशोधित किया जाकर शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखी जाती है तो वादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं ऐजतराज नहीं है।

उभय पक्षकारो को विधिवत रूप से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से विधिवत रूप से सुना जाकर इस न्यायालय को आदेशित किया गया है कि उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2009 में केवल मात्र लादू पुत्र भोलू की एक मात्र वारिस मुमताल पुत्री लादू के हिस्से तक संशोधित किया जाकर उनका हिस्सा पुनः बहाल रखा जावें शेष डिक्री यथावत रखी जावें।

अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06.09. 2022 की पालना में इस न्यायालय के वाद संख्या 69/2019 (127/1999) ऑनलाई नम्बर 2019/00185 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2009 व डिक्री दिनांक 20.10.2009 में निम्नानुसार आंशिक संशोधिन किया जाता है कि ग्राम पीह के खसरा नम्बर 730, 730/2, 730/3, 734, 735, 753, 754, 754/2, 681, 689/2, 731, 732, 733 कुल रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी 11 व 16 के स्थान पर केवल प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हटाया जाकर मांगू पुत्र पेमा कौम माली के स्थान पर वादी रामलाल को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी 1 से 3 रामूराम, कालूराम, अमरचन्द पिता मांगु को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 मंगाराम पुत्र पेमाराम को 1/24 हिस्से का एवं प्रतिवादी 5 रामकरण पुत्र पेमाराम को 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवाद संख्या 1 से 5 के कब्जे काश्त की भूमि की अलग-अलग होल्डिंग कायम की जावे। इसी प्रकार शेष प्रतिवादीगण 6 से 10 व 12 से 16 का कब्जा-काश्त के अनुसार अलग-अलग होल्डिंग कायम की जावे। निर्णय अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

डिक्री जारी हो। तहसीलदार नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लेकर नियमानुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

नोट – आदेश दिनांक 25/09/2024 के अनुसार क्र.स. 11 (सुगनचन्द पुत्र गोकूराम) के स्थान पर क्र.स. 12 में अंकित नाम खींयाराम पुत्र गुल्लाराम का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है शेष निर्णय व डिक्री में अंकित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 से 17 एवं 19 यथावत रहेंगे (क्र.स. 17 व 19 का भी कब्जेकाश्त अनुसार अलग-अलग होल्डिंग कायम की जावे)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)